



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 315 राँची, बुधवार,

23 जून, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

31 मई, 2021

संख्या5/विविध (आरोप)-3-3/2021का०2460--विभागीय आदेश सं०-8037, दिनांक-01.10.2019 द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित विभागीय कार्यवाही के मामले आवंटित किया गया है। पुनः विभागीय आदेश सं०-1480, दिनांक-08.03.2021 द्वारा पूर्व में आवंटित कार्यों में संशोधन करते हुए विभागीय जाँच पदाधिकारी के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों यथा- (1) श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, (2) श्री रमेश कुमार दूबे, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, (3) श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, (4) श्री विनोद कुमार सेवानिवृत्त भा०प्र०से० एवं (5) श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० के बीच विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० एवं श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग आवंटित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० एवं श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारियों के बीच निम्न रूप में आरोपी पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु हस्तांतरण किया जाता है-

श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी	
1.	श्री राजीव कुमार मिश्र, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़
2.	श्री राजीव कुमार मिश्रा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़
3.	श्री लियाकत अली, तत्कालीन अंचल अधिकारी, टंडवा, चतरा
4.	श्री अभय कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू
5.	श्री सत्य प्रकाश, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर, गुमला
6.	श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डु, रामगढ़
7.	श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा

श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी	
1.	श्री संदीप बक्शी, तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, चाईबासा
2.	श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन अपर समाहर्ता, साहेबगंज

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 एवं श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
